रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1720] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2010/श्रावण 27, 1932
No. 1720] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2010/SHRAVANA 27, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2010

का.आ. 2036(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित सरकार एतद्द्वारा मुख्य बिजली इंजीनियर, भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) को डीएफसीसीआईएल के समस्त बिजली संबंधी कार्यों के लिए सरकार (ईआईजी) के बिजली निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है बशर्ते कि डीएफसीसीआईएल का मुख्य बिजली इंजीनियर, भारतीय बिजली इंजीनियर रेल सेवा (आईआरएसईई) संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर हों और भारतीय रेलवे में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा की हो। उसे भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अध्याय-II के पैरा 4 में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। डीएफसीसीआईएल का बिजली निरीक्षक भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के सभी नियमों के तहत भारतीय रेलवे के मुख्य बिजली निरीक्षक के समग्र अधीक्षण एवं निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा।

[फा. सं. 2000/इलैक्.(जी)/110/1]

एस. के. सक्सेना, कार्यपालक निदेशक (बिजली ऊर्जा प्रबंधन)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2010

S.O. 2036(E).—In exercise of the powers conferred by Section 162 of the Electricity Act, 2003, the appropriate Government hereby appoints Chief Electrical Engineer, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (DFCCIL) as Electrical Inspector to Government (EIG) for entire electrical works of DFCCIL subject to the condition that Chief Electrical Engineer, DFCCIL shall be a deputationist from Indian Railway Service of Electrical Engineer (IRSEE) cadre and should have a minimum 20 years of service on Indian Railways. He should also fulfills the condition laid down in Para 4 of Chapter-II of IE Rules, 1956. The Electrical Inspector, DFCCIL shall function under overall superintendence and supervision of Chief Electrical Inspector, Indian Railways, in respect of all statutes of Indian Electricity Act, 2003.

[F. No. 2000/Elec.(G)/110/1]

S. K. SAXENA, Executive Director (Elect. Energy Mgt.)

3249 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.